भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2783

10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

ईवी विनिर्माता

2783. **श्री राहुल सिंह लोधीः**

श्रीमती मालविका देवीः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च 2024 में आज की तिथि तक एसएमईसी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले वैश्विक ईवी विनिर्माताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख इनमें में अब तक कितनी कंपनियों ने भूमि अधिग्रहण अथवा संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रमुख ईवी केन्द्रों के रूप में उभरने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है कि अनुमोदित कंपनियां तीसरे वर्ष तक अनिवार्य 25 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) और पांचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत डीवीए प्राप्त कर लें; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा एसएमईसी योजना के अंतर्गत अनुमोदित कंपनियों को घरेलू एमएसएमई इकाइयों से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के विस्तृत दिशानिर्देश 02.06.2025 को अधिसूचित किए गए थे। इस स्कीम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21.10.2025 थी, लेकिन कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ): स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित आवेदक को अपने सुविधा केंद्रों में विनिर्मित ई-चौपहिया के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना आवश्यक है। अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्राप्त घरेलू मूल्य संवर्धन प्रमाणपत्र की निगरानी भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा की जाती है।

(ङ): प्रश्न ही नहीं उठता।

****